

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.3(54)नविवि/3/2011

जयपुर, दिनांक 31.07.2013

1. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
4. उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, समस्त, राजस्थान।
5. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त) राजस्थान।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम (समस्त) राजस्थान।
7. वरिष्ठ नगर नियोजक (समस्त) राजस्थान।
8. आयुक्त, नगर परिषद (समस्त) राजस्थान।
9. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका मण्डल (समस्त) राजस्थान।

विषय :- "प्रशासन शहरों के संग अभियान, 2012-13" आयोजित करने बाबत दिशा-निर्देश।

उपरोक्त विषयान्तर्गत मंत्रिमण्डल की आज्ञा क्रमांक 193/2012 के अनुसरण में "प्रशासन शहरों के संग अभियान" हेतु विभागीय समसंख्यक परिपत्र दिनांक 17.10.2012 द्वारा और इसके अनुक्रम में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी विविध आदेशों के तहत अभियान के दौरान विभिन्न विषयों से संबंधित शिथिलताएं/छूटें दी गयी हैं तथा शक्तियों का प्रत्यायोजन भी किया गया है।

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 2.4.2013 द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान-2012-13 की follow-up अवधि अब तक लागू सभी शिथिलताओं, छूटों तथा शक्तियों के प्रत्यायोजन आदि (Relaxations, rebates, delegation of power etc.) के साथ दिनांक 31.3.2013 से बढ़ाकर दिनांक 30.6.2013 की गयी, तत्पश्चात् विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 19.06.2013 द्वारा दिनांक 30.06.2013 से बढ़ाकर 31.07.2013 तक निर्धारित की गयी थी, जिसे अब बढ़ाकर दिनांक 30 सितम्बर, 2013 किया जाता है। उक्त शिथिलताएं/छूटें एवं शक्तियों का प्रत्यायोजन आदि दिनांक 30 सितम्बर, 2013 तक प्राप्त सभी आवेदन पत्रों पर लागू मानी जायेगी।

संबंधित जिला कलक्टर अपनी सुविधानुसार समय-समय पर अभियान की समीक्षा भी करेंगे।

अतः तदनुसार कार्यवाही के निर्देश दिये जाते हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)


संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

क्रमांक प.3(54)नविदि/3/2011

जयपुर, दिनांक 31.07.2013

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, स्वा.शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
3. निजी सचिव, माननीय संसदीय सचिव, स्वा.शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
4. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, माननीय मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिवगण (समस्त) (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास विभाग को छोड़ कर)
5. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, राजस्थान।
6. अति. मुख्य सचिव, सामा. न्याय एवं अधिकारिता/ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वा.शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उद्योग/राजस्व/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/सार्वजनिक निर्माण/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी/महिला एवं बाल विकास विभाग।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
10. निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव.....
11. निजी सचिव, शासन सचिव.....
12. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
13. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
14. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
15. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिका
16. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अन्य अधिकारीगण, नगरीय विकास विभाग।
17. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव-तृतीय